

सॉफ्टवेयर प्रकल्प
 संचालन - 2019/000001

फर्द अहकाम

(नियम क)

01/2019

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

किस्म मुकदमा:- उ.अ. धारा 22 के अन्तर्गत

मु.नं. 01 /2019

सरकार बनाम

राजीव सिंह


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/2/19	<p>पटवारी हल्का 755M से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का के रिपोर्ट के अनुसार श्री राजीव सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति राजीव निवासी 14 PBC(B) ने चक 14 PBC(B) के मु.नं. 69/28 के किला नम्बर P-14.8.312411 में तादादी 23.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पर सम्बत् 2075 की फसल खरीफ/रबी में नाजायज काश्त जिन्स खरसा, गहु की काश्त कर रखी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जावे तथा हल्का भू अभिलेख निरीक्षक के.रा.वाली को खडी फसल कुर्क करने के आदेश जारी किये जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/3/19 को पेश हो।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
14/3/19	<p>पत्रावली पेश हुई। R.I हल्का से फसल कुर्क रिपोर्ट प्राप्त शामिल पत्रावली रहे। अप्रार्थी को जारी किया गया नोटिस यदि तामील प्राप्त। शामिल पत्रावली रहे। अप्रार्थी को हकिर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी के जवाब के अनुसार रुक्या मांमचन्द पुत्र श्री.शाराम च. साकिन जोड़ी को पुराना आवक न्या, जो किल्लों के अन्तर्गत में रजिस्ट्रेशन शर्तों स्वार्ण होने से पूर्व अप्रार्थी को प्राप्त जलमेल को पत्रावली अलोडवाह जाति राजीव के जा.ए.के.करा.रगा.क. क्रय किया जागा अंकित किया है। पत्रावली में राजीव सिंह मो.के.प. काश्त करना हुक्म पटवारी की रिपोर्ट से स्वयं अप्रार्थी के ज.अ.पु.ला.ए.म.त.व.त. से ला है।</p>	<p>संख्या 826 पर रूपये 774.00 की मांग कायम की गई।</p>

तहसीलदार (राजस्व)
 खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

टी.आर.ए.

चक्र 14PB(B) के मु.न. 69/28 के दि.न. 2019
 20, 21, 22 ता 25 व 11, 12 तादाती 23.12 बीधा पर ल
 गे हुए काश्त कर सम्बन्ध 2075 की फलल शरी में अति-चारक
 अपात्री स्वयं के अपने जवाब में काश्त करला स्वीकार किया है अतः
 अपात्री को चक्र 14PB(B) के मु.न. 69/28 में तादाती 23.12
 उपरोक्ता उल्लेख पर अतिचारक के आरोप में अति-क्रिमि-चोकि
 किया जाता है अति-क्रिमि श्री राजीव सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवा
 14PB(B) को चक्र 14PB(B) के मु.न. 69/28 के तादाती 23.12
 बीधा कमाण शुमि पर अति-क्रिमि करके के आरोप में सहपट्टा
 लगान 1.64 अति-बीधा अउल्लेख 23.12 बीधा के लगान 38.70 का
 शुणा 774 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया जाता है

R.I हल्का से फंड फलल जल्दी प्राला जिले के अउ
 फलल कामजोर खिती में लेना बुलाया गया है जो कि मु
 जल्द शुरु करती फलल को लड़काले परवारी की लहवील में
 गई है तथा उल्लेख पाबन्द किया गया है, फलल को अति
 अथवा अन्य किली के हारा भी अति-चारक नही करे जिले के
 अथवा करे / किसी प्रकार की इवल अंडाजी पर ताकाल का
 में अवगत करके / मुकेशुदा फलल को जलिये लार्कजमि
 के हारा निपयारा किया जाकर फंड गिलामी वाले स्वीक
 पेश करे / पलावली फलल शुरु की जाकर नमूने के
 की जावे / एवम् फंड तकमौल ताकाले दाखिल दकतर
 जावे / पुनश्च:- आरोपित अर्थदंड की मांग का प्रती त
 को करवाई जाकर हल्का परवारी में आरोपित ताकाल व फ
 कले हलुलिया जावे व R.I हल्का को मुकेशुदा फलल को
 ताकाल गिलामी कर फंड प्रस्तुत वके हलुलिया जावे /



 तहसीलदार, राजपुर
 खाजूवाला

9 पलावली R.I हलका से फर्द गिलामी प्राप्त होने
 पर पेवरी में ली गई। फर्द गिलामी शामिल
 पलावली रहे। फर्द गिलामी के अउसा उच्चतम
 बोली वाला थी हुमान सिंह १० गोपाल सिंह जाती
 राजपुरा ७।रा 11000/- (उभाह हजार रुपये)
 लगाई गई। जो उच्चतम होने के कारण लीका
 की जाती है। फसल गिलामी की राशि राज राजा
 में जमा कराई जाकर ताले की मांग
 कायमी पश्चात पलावली दारिबल दफतर ले

GRN 29530945
 30/3/19
 ले 774/2
 जमा

GRN 29530981
 30/3/19
 ले 11000/2
 जमा



अ. रजि. डे पृष्ठ सं. 326
 पर मांग कायम 
 TRA